भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2326
सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

11 वर्षों के परिवर्तनकारी सुधारों का प्रभाव और परिणाम

2326. श्री प्रवीण पटेल:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्रीमती माला राय:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री गोडम नागेश:
श्री रोडमल नागर:
श्री आलोक शर्मा:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में विशिष्ट पहलों सहित सरकार के 11- वर्षीय "परिवर्तनकारी सुधारों" के प्रमुख घटकों का ब्यौरा क्या है और रोजगार, लाभ और श्रमिक संरक्षण में महाराष्ट्र, विशेषकर मध्य प्रदेश के भोपाल और सीहोर जिलों में और हिमाचल प्रदेश के शिमला लोक सभा क्षेत्र के पांवटा साहिब, नालागढ़ और बद्दी में क्या मात्रात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) डिजिटल हस्तक्षेपों ने किस प्रकार दक्षता में सुधार किया है, विलंब को कम किया है, कामगार पंहुच और पारदर्शिता को बढ़ाया है, साथ ही इन सुधारों का मूल्याकंन करने के लिए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार किन मानदंडों का उपयोग किया गया है;

(ग) ई-श्रम और श्रम सुविधा पोर्टल जैसे डिजिटल हस्तक्षेपों ने किस प्रकार कार्यकुशलता को बेहतर बनाया है, होने वाले विलंब को कम किया है और कामगारों के लिए सुलभता को बढ़ाया है और उक्त सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न मानदंड क्या हैं;

(घ) 11 वर्ष की अवधि के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत लाए गए कामगारों की विशिष्ट संख्या वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तारित कवरेज का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय में सुधार हुआ है और देश भर में, विशेषकर महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक केंद्रों में, एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या चार श्रम संहिताओं सहित सरकार के हालिया सुधारों को देवास लोक सभा क्षेत्र के देवास और शाजापुर जिलों में लागू किया गया है और यदि हाँ, तो कामगारों के लाभ, श्रम के औपचारिकीकरण और व्यापार करने में आसानी के संदर्भ में क्या प्रमुख परिणाम देखे गए हैं; और

(छ) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उन्हें दिए गए लाभों के प्रकार क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): श्रम और रोजगार मंत्रालय, अखिल भारतीय (पैन इंडिया) स्तर पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू करता है। विगत **10** वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा से संबंधित विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार लाभार्थियों का ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, समेकित वर्षवार आँकड़े नीचे दिए गए हैं:-

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**श्रमिक कल्याण योजना**		
		स्वास्थ्य	**आवास**	**शिक्षा**
		लाभार्थियों की संख्या	**लाभार्थियों की संख्या**	**लाभार्थियों की संख्या**
1.	2015-16	1737929	14544	521572
2.	2016-17	1559744	9831	542974
3.	2017-18	1423152	16177	188241
4.	2018-19	1185209	12394	364629
5.	2019-20	1353227	3485	161572
6.	2020-21	1641516	7854	110466
7.	2021-22	2009095	4824	109802
8.	2022-23	1880034	10266	105277
9.	2023-24	1802000	4785	96051
10.	2024-25	1579705	0	92118

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 तैयार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित मामलों के संबंध में कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने का प्रावधान है।

i. जीवन और निःशक्तता कवर,

ii. स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा,

iii. वृद्धावस्था संरक्षण और

iv. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य लाभ।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना मार्च, 2019 में शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3000/- रुपये की न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। 18-40 वर्ष की आयु के वे कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्तपोषित) के सदस्य नहीं हैं या आयकर दाता नहीं हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान 55 रुपये से 200/- रुपये तक है, जो लाभार्थी की प्रवेश आयु पर निर्भर करता है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान दिया जाता है। इस योजना में नामांकन, कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से किया जाता है, जिनका देश भर में लगभग 4 लाख केंद्रों का नेटवर्क है। पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर स्वयं भी नामांकन करा सकते हैं।

(ख) और (ग): ई-श्रम पोर्टल और श्रम सुविधा पोर्टल जैसी पहलों से दक्षता में सुधार, देरी को कम करने और कामगारों की पहुंच और पारदर्शिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो निम्नानुसार हैं:-

(I) श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) 16 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था। यह पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के चार प्रमुख संगठनों को सेवा देता है, जिनमें ईपीएफओ और ईएसआईसी भी शामिल हैं। एसएसपी के माध्यम से, पोर्टल पर पंजीकृत व्यवसायों और नियोक्ताओं के लिए एक विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) ऑनलाइन जारी की जाती है। इस पोर्टल ने व्यावसायिक संस्थाओं को ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न भरने की सुविधा के साथ-साथ यादृच्छिक जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली प्रदान करके अनुपालन की जटिलता को कम किया है, जिससे कानून कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए व्यक्तिपरकता कम हुई है।

(II) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को आधार से जुड़े असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल (**eshram.gov.in**) शुरू किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है। लाभ प्रदान करने के लिए, ई-श्रम पोर्टल को निम्नलिखित पोर्टल/योजनाओं के साथ एकीकृत/मैपिंग किया गया है:

(i) ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। एक असंगठित कामगार अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का उपयोग करके एनसीएस पर पंजीकरण करा सकता है और रोजगार के उपयुक्त अवसरों की खोज कर सकता है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों को एनसीएस पर निर्बाध पंजीकरण के लिए एक विकल्प/लिंक भी उपलब्ध कराया गया है।

(ii) ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के साथ एकीकृत किया गया है, जो 18-40 वर्ष की आयु के असंगठित कामगारों के लिए एक पेंशन योजना है।

(iii) असंगठित कामगारों को कौशल संवर्धन और प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

(iv) ई-श्रम को माईस्कीम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। माईस्कीम एक राष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की एक ही स्थान पर खोज और जानकारी प्रदान करना है। यह नागरिकों की पात्रता के आधार पर योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नवीन, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करता है।

(घ): ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं एबीआरवाई, पीएमआरपीवाई, पीएमजीकेवाई हैं।

1. **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई):** केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरू की और ईपीएफओ के माध्यम से 01.10.2020 से 31.03.2022 तक लागू की (*पंजीकृत कर्मचारियों के लिए लाभ पंजीकरण से 2 वर्ष के लिए जारी किए गए है अर्थात् 31.03.2024 तक*) जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को बेरोजगार व्यक्तियों की नियोजित करने में सहायता प्रदान करके कोविड-19 रिकवरी चरण के दौरान नए रोजगार के अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करना है, जिसमें महामारी के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को फिर से रोजगार देना भी शामिल है।

पात्र प्रतिष्ठानों के नए कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में, कर्मचारी के मासिक वेतन के 12% की दर से ईपीएफ अंशदान, जो कर्मचारी के वेतन से काटा जाता है, केंद्र सरकार द्वारा जमा किया गया है। अतः, नए कर्मचारी के वेतन से 12 प्रतिशत अंशदान की कटौती नहीं होगी और उसे अधिक वेतन मिलेगा।

2.**प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) -** यह योजना नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु सृजित की गई थी। यह योजना 01.4.2016 से 31.03.2019 तक लागू की गई थी (पंजीकृत कर्मचारियों के लिए लाभ नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष तक**,** अर्थात योजना की समाप्ति तिथि: 31.03.2022 तक जारी रहेंगे)।

3. **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई)** की घोषणा शुरुआत में पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत मार्च 2020 से मई 2020 तक की गई थी। बाद में इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 के तहत जून से अगस्त 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ने योजना अवधि के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हिस्से का ईपीएफ और ईपीएस अंशदान (वेतन का 24%) का भुगतान किया। इसका उद्देश्य ईपीएफ के दायरे में आने वाले उन प्रतिष्ठानों में जहाँ लगभग सौ कर्मचारी कार्यरत थे उनमें कम वेतन पाने वाले ईपीएफओ सदस्यों के नियोजन में आने वाली रुकावटों को रोकना था।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विशेषकर भोपाल और सीहोर जिलों तथा हिमाचल प्रदेश में एबीआरवाई, पीएमआरपीवाई, पीएमजीकेवाई के लिए जिला-वार लाभार्थी कर्मचारियों और वितरित लाभों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

ईएसआईसी - ईएसआई अधिनियम उन कारखानों पर लागू होता है जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में, एक कर्मचारी के लिए कवरेज की अधिकतम वेतन सीमा 21,000 रुपये प्रति माह (निःशक्त कर्मचारी के लिए 25,000 रुपये प्रति माह) है। ईएसआई अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा लाभों के प्रशासन हेतु औद्योगिक संकेंद्रण और बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता के आधार पर ईएसआई योजना का चरणबद्ध रूप से विस्तार किया जाता है।

दिनांक 30.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, ईएसआई योजना के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

कार्यान्वयन की स्थिति	**जिलों की संख्या**
अधिसूचित जिले	695
पूर्णतः अधिसूचित	602
आंशिक रूप से अधिसूचित	93
गैर-अधिसूचित	83
कुल जिले	778

वर्ष 2014 में, यह योजना देश के 393 जिलों में लागू की गई थी, जो अब 695 जिलों तक फैल चुकी है। 11 वर्षों की अवधि के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत लाए गए कामगारों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ङ) और (च): सरकार ने मौजूदा 29 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के प्रासंगिक उपबंधों के सरलीकरण, समामेलन और युक्तिकरण के बाद चार श्रम संहिताओं नामतः वेतन संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 को अधिनियमित किया है। श्रम संहिताएं कामगारों के लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में असंगठित कामगारों सहित कामगारों को उपलब्ध सुरक्षा को मजबूत करती हैं। मजदूरी संहिता, 2019 ने सतत विकास और

समावेशी विकास का समर्थन करने के लिए सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी के समय पर भुगतान के वैधानिक अधिकार को सार्वभौमिक बनाया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उद्देश्य संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। "श्रम" विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और श्रम संहिताओं के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी सौंपी गई है। चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में केंद्र सरकार ने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 34, 33, 33 और 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने क्रमशः मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 के अंतर्गत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

(छ): दिनांक 01.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या का राज्य-वार ब्योरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल पंजीकरण**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	34430
2	आंध्र प्रदेश	8612200
3	अरुणाचल प्रदेश	209835
4	असम	7711556
5	बिहार	30021752
6	चंडीगढ़	188404
7	छत्तीसगढ	8602200
8	दिल्ली	3577890
9	गोवा	82869
10	गुजरात	12175361
11	हरियाणा	5401741
12	हिमाचल प्रदेश	2003151
13	जम्मू और कश्मीर	3598348
14	झारखंड	9693168
15	कर्नाटक	10885327
16	केरल	6065355
17	लद्दाख	34681
18	लक्षद्वीप	2842
19	मध्य प्रदेश	18924295
20	महाराष्ट्र	17851216
21	मणिपुर	463492
22	मेघालय	352309
23	मिजोरम	72245
24	नागालैंड	238304
25	ओडिशा	13604912
26	पुदुचेरी	194755

27	पंजाब	5861608
28	राजस्थान	14897001
29	सिक्किम	48724
30	तमिलनाडु	9311472
31	तेलंगाना	4541030
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	75394
33	त्रिपुरा	896137
34	उत्तर प्रदेश	83971502
35	उत्तराखंड	3085765
36	पश्चिम बंगाल	26480592
	कुल पंजीकरण	**309771863**

** *****

अनुबंध -I

दिनांक 04.08.2025 के लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2326 के भाग (घ) के उत्तर में के लिए अनुबंध संदर्भित।

एबीआरवाई		
राज्य	**विशिष्ट लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या**	**लाभ की राशि (रु. में)**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	479	11861230
आंध्र प्रदेश	166930	3284684305
अरुणाचल प्रदेश	514	14248840
असम	19918	347119393
बिहार	28576	756410829
चंडीगढ़	13474	279640170
छत्तीसगढ	85105	1735744298
दिल्ली	227076	3215199250
गोवा	20948	324587534
गुजरात	591126	9592658199
हरियाणा	400760	6160615581
हिमाचल प्रदेश	83382	1385154637
जम्मू और कश्मीर	19384	487180802
झारखंड	62776	1302801799
कर्नाटक	485462	8623937103
केरल	96343	1980997355
लद्दाख	190	3844574
लक्षद्वीप	9	377616
मध्य प्रदेश	205901	3865578951
महाराष्ट्र	978836	15115535367
मणिपुर	1698	27499955
मेघालय	1224	49053034
मिजोरम	377	16203156
नागालैंड	226	5125124
ओडिशा	89360	2029849904
पुदुचेरी	14746	218894959
पंजाब	222363	4344301524
राजस्थान	326998	5787090274
सिक्किम	4008	72167825
तमिलनाडु	804738	11635070558
तेलंगाना	283362	4010975262
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	52911	744105294
त्रिपुरा	5440	100502683
उत्तर प्रदेश	433724	8679950952
उत्तराखंड	93521	1560789482
पश्चिम बंगाल	227402	4115198067

एबीआरवाई		
राज्य/जिला	विशिष्ट लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	**लाभ की राशि (रु. में)**
मध्य प्रदेश		
भोपाल	25474	594654016
सीहोर	4596	68502424
हिमाचल प्रदेश		
बिलासपुर	394	10242580
चंबा	802	21937503
हमीरपुर	1780	48602729
कांगड़ा	2178	63822940
किन्नौर	4	14225
कुल्लू	1021	36591040
लाहौल और स्पीति	11	259428
मंडी	973	27255471
शिमला	1408	36762766
सिरमौर	11038	221917952
सोलन	61111	854549965
ऊना	2662	63198038

एबीआरवाई		
राज्य	**विशिष्ट लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या**	**लाभ की राशि (रु. में)**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	721	7728575
आंध्र प्रदेश	248573	2281020249
अरुणाचल प्रदेश	45	274191
असम	2690	25294337
बिहार	129455	1350372942
चंडीगढ़	51824	436006698
छत्तीसगढ	135124	1201730851
दिल्ली	746831	5383733418
गोवा	26111	198276899
गुजरात	995473	7326963482
हरियाणा	999686	6446066048
हिमाचल प्रदेश	131242	949304809
जम्मू और कश्मीर	0	0
झारखंड	70780	615988880
कर्नाटक	1190491	9657821811
केरल	207879	2652250330
लद्दाख	0	0

लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	349488	2935593896
महाराष्ट्र	2186267	14884443690
मणिपुर	4334	29461567
मेघालय	139	2190909
मिजोरम	334	6245365
नागालैंड	195	2809216
ओडिशा	143037	1245486743
पुदुचेरी	20784	143127360
पंजाब	343071	3126519457
राजस्थान	465983	3142893122
सिक्किम	8884	94268238
तमिलनाडु	1456824	11254751805
तेलंगाना	720074	4943179980
दादरा और नगर हवेली ए	79811	523817539
त्रिपुरा	3704	32407807
उत्तर प्रदेश	890194	7541984619
उत्तराखंड	301156	1740236509
पश्चिम बंगाल	359762	2581381570

	पीएमआरपीवाई (राशि रु. में)		
राज्य	**जिला**	**विशिष्ट लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या**	**लाभ की राशि (रु. में)**
मध्य प्रदेश	भोपाल	78306	674199680
मध्य प्रदेश	सीहोर	5380	68108057
हिमाचल प्रदेश			
	बिलासपुर	1529	16945699
	चंबा	469	6118235
	हमीरपुर	2185	38555380
	कांगड़ा	3721	48296539
	किन्नौर	211	1528948
	कुल्लू	1693	16874099
	लाहौल और स्पीति	73	510578
	मंडी	1337	15837786
	शिमला	6418	86079596
	सिरमौर	16553	143412600
	सोलन	91772	534305318
	ऊना	5281	40840031

पीएमजीकेवाई		
राज्य का नाम	यूएएस	पीएमजीकेवाई लाभ कुल धनराशि
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1758	16165109
आंध्र प्रदेश	166071	1169034353
अरुणाचल प्रदेश	1493	8652776
असम	20672	137831194
बिहार	60186	432231657
चंडीगढ़	28890	204481067
छत्तीसगढ़	91378	645019222
दिल्ली	52504	365570609
गोवा	19475	126750318
गुजरात	294034	1856652030
हरियाणा	102223	641310850
हिमाचल प्रदेश	55990	364352099
जम्मू और कश्मीर	26591	208432436
झारखंड	100286	769946403
कर्नाटक	314309	2499608357
केरल	122471	927732405
लद्दाख	172	2112504
मध्य प्रदेश	172938	1075824356
महाराष्ट्र	479519	3165020318
मणिपुर	6209	32965211
मेघालय	2644	18275367
मिजोरम	867	7715565
नागालैंड	2508	18023702
उड़ीसा	143696	1018891544
पंजाब	78758	506980376
राजस्थान	144466	797435733
सिक्किम	4093	30805054
तमिलनाडु	580487	3571091025
तेलंगाना	173572	1026971311
त्रिपुरा	3976	27123065
उत्तर प्रदेश	235058	1579985296
उत्तराखंड	50791	324683759
पंश्चिम बंगाल	353883	2094285728

पीएमजीकेवाई			
राज्य का नाम	**जिला**	विशिष्ट लाभार्थियों की संख्या	लाभ राशि (रु. में)
मध्य प्रदेश	भोपाल	19469	132375020

मध्य प्रदेश	सीहोर	1263	7109838
हिमाचल प्रदेश			
	बिलासपुर	1854	12725897
	चंबा	1763	14122212
	हमीरपुर	2110	17314961
	कांगड़ा	5533	39556649
	किन्नौर	338	2581134
	कुल्लू	2459	16979599
	लाहौल और स्पीति	20	113086
	मंडी	4071	32001013
	शिमला	4548	32645612
	सिरमौर	7051	46246592
	सोलन	21928	122399244
	ऊना	4315	27639100

अनुबंध -II

दिनांक 04.08.2025 के लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2326 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र. सं	राज्य	राज्य-वार बीमित व्यक्तियों की संख्या											
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25(अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	534100	553390	629810	1014140	1172290	1290950	1305590	1269930	1217420	1316920	1386630	1419490
2	असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	113560	127349	147500	201960	258740	293680	318050	320890	300020	332460	378290	396060
3	बिहार	104720	130730	143610	201950	237660	283220	339530	346670	358980	411210	450640	506630
4	चंडीगढ़	87870	103300	109340	230160	230300	173310	167850	144410	130200	141210	155250	140780
5	छत्तीसगढ	221170	271670	271850	423990	558420	620480	502700	524640	506750	557400	576840	625580
6	दिल्ली	1079520	1184560	1280610	1946700	1876670	1716640	1596350	1512740	1328320	1412380	1492680	1373100
7	गोवा	136830	165660	170580	288120	242770	285300	209270	216120	172650	195110	216510	214900
8	गुजरात	816490	967030	1030090	1473460	1578670	1627460	1722290	1784840	1568900	1701960	1882600	1986500
9	हरियाणा	1238220	1567090	1677020	2970810	2944330	2809260	2406100	2510760	2319520	2550310	2897730	2900440
10	हिमाचल प्रदेश	188450	228380	235340	286390	314720	340500	348140	366910	346160	368090	410860	412150
11	जम्मू और कश्मीर	72760	88180	92960	244000	275780	238200	133440	136190	122960	134600	147310	155060
12	झारखंड	221090	245300	250630	319000	378250	422510	446260	436570	425620	494210	517950	552890

13	कर्नाटक	1885490	2226010	2385840	3328960	3496090	3473410	3485870	3294380	2963220	3264340	3439260	3519130
14	केरल	707240	775000	772210	929160	1091290	1054120	1075010	1029630	945260	1013930	1006470	1053570
15	मध्य प्रदेश	424810	511630	546800	792130	949710	1047260	1044440	1065680	967000	1111360	1215640	1287760
16	महाराष्ट्र	2076850	2351860	2400290	4358990	4594170	4847980	4698620	4677460	3990490	4455490	4870460	4871520
17	ओडिशा	319700	378270	399580	551170	676970	681980	741390	753600	741560	918450	982390	1086260
18	पुडुचेरी और माहे	89810	99390	101260	116540	126590	121570	117690	115080	104520	108580	116080	120280
19	पंजाब	727920	803300	804430	1110650	1166450	1163700	1182890	1263710	1216430	1276940	1385470	1357820
20	राजस्थान	609860	744890	789800	1258450	1398540	1492990	1424980	1436200	1336380	1482690	1665590	1726920
21	सिक्किम	असम में शामिल	10871	11710	16260	20950	23320	27980	28110	28340	28420	27850	27530
22	तमिलनाडु और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2634030	2811560	2927030	3949400	4272920	4300200	3969690	3826600	3560310	4021400	4377090	4450150
23	तेलंगाना	1047270	1093000	1152270	1659190	1736640	1817770	1835360	1781390	1564130	1740420	1873530	1908060
24	उत्तर प्रदेश	1209440	1305150	1320180	1888150	2089850	2263350	2448320	2504390	2365560	2673150	2954850	3104070
25	उत्तराखंड	362220	375810	414530	606770	688660	655830	644060	659640	604560	664230	731250	704440
26	पश्चिम बंगाल	1201220	1225150	1296610	1796410	1953870	1922090	1952270	1912830	1835310	1922150	2046870	2140070
	सम्पूर्ण भारत	**18110640**	**20344530**	**21361880**	**31962910**	**34331300**	**34967080**	**34144140**	**33919370**	**31020570**	**34297410**	**37206090**	**38041160**

*****